गोरखनाथ (भा0प्र0से0)
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
फोन नं0- 06454-243199 (O)
241899 (F)
ईमेल आई0डी0-divcom-purnea-bih@nic.in

पत्रांकः 191 /सी0 दिनांकः 09/08/2022

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ/कटिहार/अररिया/किशनगंज।

विषयः— **जिला स्थित प्रखंडों में कार्यान्वित होने वाली योजनाओं का निरीक्षण/जॉच तथा प्रखंड कार्यालयों का निरीक्षण कर वित्तीय प्रबंधन स्थापित करने के संबंध में।**

प्रसंगः— इस कार्यालय का पत्रांक 106 (गो0) दिनांक 15.05.2022 एवं 178 दिनांक 28.07.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि पूर्णियॉ प्रमंडल के विभिन्न जिलों में उप विकास आयुक्त कार्यालयों तथा प्रखंड कार्यालयों के निरीक्षण तथा लोक शिकायत एवं जन शिकायत में प्राप्त शिकायत पत्रों के सुनवाई से यह स्पष्ट हो रहा है कि जिले के प्रखंडों में संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं (यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन हरियाली एवं स्वच्छता आदि) में स्थानीय स्तर पर कर्मियों एवं पदाधिकारियों द्वारा अनियमितताएँ बरती जा रही है। परन्तु जिला स्तर के वरीय पदाधिकारियों द्वारा इन योजनाओं की जॉच, प्रखंड कार्यालयों का निरीक्षण तथा किये जा रहे कार्यो का अनुश्रवण सरकार के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।

2. लोक शिकायत निवारण अधिनियम —2015 की सुनवाई के दौरान यह बात भी प्रकाश में आई है कि अररिया जिले के ग्राम पंचायत प्रसादपुर, प्रखंड जोकीहाट में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोर अनियमितता बरती गई तथा कुछ सरकारी शिक्षक द्वारा अवैध रूप से ग्रामीण आवास सहायक के मेल से इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर लिये उस मामले में संबंधित सभी लाभार्थी एवं कर्मी आवास सहायक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी तथा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध भी प्रपत्र—क गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सरकार को भेजा गया है। वैसे लाभुक/शिक्षक को सेवामुक्त करने का भी निदेश दिया गया है। जिला पदाधिकारी, अररिया के द्वारा कुर्साकॉटा प्रखंड के निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि गत दो वर्षो से रोकड़ पंजी अद्यतन नही की गई है।

3. किशनगंज जिले में भी मनरेगा के तहत फर्जी निकासी का मामला लोक शिकायत की सुनवाई में संज्ञान में आया है। इस मामले में लोक प्राधिकार द्वारा बताया गया कि दो सदस्यीय जॉच दल द्वारा जॉच में यह पाया गया कि वस्तुतः उस योजना का कार्यान्वयन ही सरजमीन पर नहीं हुआ है। विभिन्न पदाधिकारियो के द्वारा प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वहॉ अग्रिम के रूप में बड़ी राशि लंबित पड़ा हुआ है और उसकी वसूली के लिये कोई कार्रवाई न तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा की जा रही है और न ही वरीय पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार की अन्य मामले कई प्रखंडो के निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों द्वारा भी पाये गये हैं।

4. पूर्णियाँ जिला के रूपौली प्रखंड के लक्ष्मीपुर गिरिधर पंचायत वार्ड नं0—13 में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास सहायक के द्वारा लाभुकों के अवैध राशि की माँग करने की बात जाँच में सत्य पाई गई जिसमें उनके विरूद्ध प्राथमिक दर्ज करने के साथ—साथ संविदात्मक सेवा समाप्त करने की भी कार्रवाई का निदेश दिया गया है। कटिहार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत लाभार्थी को बैंक द्वारा तीसरी किस्त की 40 हजार रूपये नही हस्तांतरित की गई और उक्त राशि दूसरे खाते में हस्तांतरित कर निकाल ली गई जिसमें परिवादी द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अपील वाद अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दायर किया गया जिसमें वित्तीय

गड़बड़ी एवं धोखाधड़ी का मामला प्रमाणित पाया गया। तत्पश्चात परिवादी के माध्यम से स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

5. जिले के विकास कार्यो की देख–रेख के लिए मूल रूप से जिला के उप विकास आयुक्त उत्तरदायी होते हैं परन्तु उनके द्वारा भी अधोहस्ताक्षरी के निदेश के बावजूद कई जिलों में अभी तक न तो प्रखंड कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है और न ही सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप योजनाओं का निरीक्षण किया जाता है। जिसके कारण योजनाओं में अनियमितताएँ प्रतिवेदित हो रही है। इस कार्यालय के पत्रांक 106 (गो0) दिनांक 15.05.2022 के द्वारा आपकों भी स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया है कि सभी कार्यालय प्रधान अपने कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे एवं वरीय पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का भी निरीक्षण करेगें। पर कुछ जिला पदाधिकारी को छोड़कर अधिकतर जिले में इसका अनुपालन नहीं होने के कारण सरकार द्वारा आवंटित राशि का दुरूपयोग एवं दुर्विनियोग होने की संभावना है, जिसपर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक है।

6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों में ऐसे मामलो पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु निम्नवत् निदेश दिये जाते हैं:–

i. सभी उप विकास आयुक्त/निदेशक, डी.आर.डी.ए. अगले दो महीनों के अन्दर अपने अधीनस्थ सभी प्रखंड कार्यालयों का निरीक्षण कर लेगे तथा उक्त कार्यालयों में संधारित रोकड़ पंजी की जॉच कर लंबित अग्रिम की वसूली एवं अन्य कार्यों हेतु सम्यक् कार्रवाई करेंगे।

ii. प्रखंड कार्यालयों के निरीक्षण के दिन वे उक्त कार्यालयों में संचालित कुछ योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर यह भी देख लेगें कि वहॉ योजनाओं का कार्यान्वयन प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप हो रहा है या नहीं।

iii. प्रधानमंत्री आवास योजना के चयन एवं इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु तथा इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इस पर नियंत्रण रखने हेतु चयनित लाभुकों की चयन प्रक्रिया की पूरी जॉच पड़ताल कर लेगें।

iv. मनरेगा के अन्तर्गत संचालित बड़ी योजनाओं की जॉच हेतु पूर्व में इस कार्यालय का पत्रांक 178 दिनांक 28.07.2022 द्वारा निर्गत निदेश के अनुरूप कार्रवाई कर समय–समय पर आपके माध्यम से संसूचित करेंगे।

v. संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा भी मनरेगा योजना से भिन्न पदाधिकारियों की टीम बनाकर मनरेगा की योजनाओं के कार्यान्वयन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करेगें।

vi. जिला स्तर पर इन संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था को भी सुदृढ़ करते हुए इसके सतत अनुश्रवण की भी व्यवस्था करेंगे।

vii. भविष्य में जिले में विकास योजनाओं में पाई गई गंभीर अनियमिततायें के लिए संबंधित अपविकास आयुक्त को भी उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

8. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक की जाय तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन इस कार्यालय को भी प्रेषित की जाय।

विश्वासभाजन,

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।